Ex.P-282



# कथन – विशाल कुमार सिन्हा

| | | |
|---|---|---|
| थाना | – | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर |
| अपराध क्रमांक | – | 09 / 2015 |
| धारा | – | 13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0 |
| नाम व पिता का नाम | – | विशाल कुमार सिन्हा पिता स्वः हरगोविंद प्रसाद सिन्हा |
| उम्र | – | 38 वर्ष |
| पता | – | सुमन कॉलोनी, दर्रीपारा, अंबिकापुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) |
| मोबाईल नंबर | – | 9926699685 (पर्सनल), 8817903641 (शासकीय) |
| व्यवसाय | – | कनिष्ठ तकनीकी सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम, सूरजपुर (छ0ग0) |

——00——

मैं विशाल कुमार सिन्हा पूछने पर बता रहा हूं कि, मैं वर्तमान में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यालय नागरिक आपूर्ति निगम सूरजपुर में जूलाई–अगस्त 2012 से पदस्थ हूं। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03641 तथा पर्सनल मोबाईल नंबर 99266–99685 जो मेरे नाम पर है। आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर पर विभिन्न दिनांक को जिला प्रबंधक श्री आर.एन.सिंग से उनके मोबाइल नंबर 98261–71941 में हुई बातों का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 13.12.2014 के 11:27:11 बजे से प्रारंभ होकर दिनांक 13.12.2014 के 11:29:11 बजे का कॉल मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर पर उनके पर्सनल नंबर 98261–71941 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में सिंग साहब ने मुझसे पूछा था कि राईस मिलर बिन्नू के पुराने कलेक्शन का क्या हुआ? तब मैंने उन्हें बताया था कि पुराने कलेक्शन का पैसा मैंने बिन्नू से ले लिया है, अभी चार लॉट का पैसा बचा है, बिन्नू ने एक–दो दिन रूकने के लिये बोला है, कलेक्शन का पूरा पैसा मिल जायेगा तो आपको लाकर दे दूंगा। राईस मिलर्स एक लॉट का 8रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा देते थे। सिंग साहब 4रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा मुख्यालय रायपुर में श्री एस.एस. भट्ट को विकास के हाथों भिजवाते थे, बाकि 4रू. में जिले के पूरे स्टॉफ को उनका हिस्सा देते थे।

दिनांक 14.01.2015 के 20:39:30 बजे से प्रारंभ होकर दिनांक 14.01.2015 के 20:46:46 बजे का कॉल मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर से उनके पर्सनल नंबर 98261–71941 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में सिंग साहब ने मेरे से चने के ठेकेदार अनिल अग्रवाल का मोबाइल नंबर मांगा था। सिंग साहब ने यह भी बताया था कि गेंहू का टेण्डर निकला है, अनिल अग्रवाल तुमसे बात करना चाहता है। मैने सिंग साहब को चावल लॉट लेने के संबध में बताया था कि मै मिनमैक (कमी) ज्यादा नही निकालूगा और अर्जेस्ट कर लूगा। भोला पक्कड़ गोदाम में चॉवल का लॉट ज्यादा आया था, उस संबध में उनको बताया था कि गाड़ी

खाली कराने के संबध में बताया था। इस पर सिंग साहब द्वारा मुझे बताया गया था कि उन्होने विश्रामपुर और बलरामपुर के राईस मिलर जिसमें मोनू, निकेश, जय भगवान का मुशी और विकास भी थे, को सुनाया है कि पैसा देने का धौस मत दिया करो, राईस मिलिंग का काम बंद कर दो, मै चॉवल का रेक बुलवा लूंगा। सिंग साहब ने साकेत राईस मिल वाला भीम सेन अग्रवाल उन्हे परेशान कर रहा है और पार्टी फण्ड के लिये चंदा मांग रहा है, इस संबध में भी बताया था। इस पर मैने उन्हे कहा था कि एक तरफ चॉवल क्वालिटी कंप्रोमाईज के लिये राईस मिलर कलेक्शन का पैसा दे और दूसरी तरफ हमसे चंदा मांगे। सिंग साहब ने कहा था कि राईस मिल संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल को बुलाकर पार्टी फण्ड के लिये चंदा मांगने के संबध में बात करूगा।

दिनांक 31.01.2015 के 09:34:09 बजे से प्रारंभ होकर दिनांक 31.01.2015 के 09:43:09 बजे का कॉल मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर से उनके पर्सनल नंबर 98261–71941 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में सिंग साहब ने मुझे बताया था कि श्री पाठक अस्टिेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल ने मनेन्द्रगढ़ में कई स्टेग फेल (अमानक स्तर) कर दिये है और पूछे थे कि पाठक जी ने सूरजपुर में क्या किये है। इस पर मेरे द्वारा उन्हे बताया गया था कि सूरजपुर के पूरे गोदाम चेक किये है और सैपंल लेकर गये है और बोल रहे थे कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो समझ में आता है, पिछली बार बोल कर गया था तब भी मनेन्द्रगढ़ में खराब क्वालिटी का चावल मिला तो स्टेक रिजेक्ट किया हूँ। बाकी गोदाम में कही चॉवल की क्वालिटी में उन्नीस बीस दिखेगा तो जिला प्रबंधक और क्यू.आई. को चेतावनी देगे। पाठक जी को चिरमिरी भी जाना था, कह रहे थे कि चिरमिरी में भी मनेन्द्रगढ़ के क्यू.आई. शाक्या ने चावल पास किया है, यदि वहां भी अमानक स्तर का चावल मिल गया तो केस बनाना पड़ेगा इसलिये चिरमिरी नहीं गया सीधे सूरजपुर आ गया हूं। मेरे द्वारा सिंग साहब को बोला गया था कि पाठक साहब के आने पर टेन्शन नहीं होता, पर कंपनी सचिव संदीप अग्रवाल आते है तो टेन्शन रहता है। अग्रवाल जी को चावल की क्वालिटी के बारे में ज्यादा टेक्नीकल नॉलेज तो है नहीं बिना मतलब के डाटते हैं। इस पर सिंग साहब ने मुझसे पूछा था कि पाठक तो एक रूपया प्रति क्विंटल राईस मिलर से पैसा वसूली करते है, क्या अग्रवाल को हिस्सा नहीं देते? इस पर मैंने कहा था कि हा लगभग एक रूपया प्रति क्विंटल तो ले जाते है, बिलासपुर संभाग में पूरे सीजन का कैलकुलेट करे तो 50 से 60 लाख रूपये का कलेक्शन गिरी हालत में इनका होता है। अग्रवाल जी को पाठक जी से इस बारे में बोलना चाहिए या फिर सभी राईस मिलर्स को बोलना चाहिए कि आप लोग जो कलेक्शन का पैसा पाठक जी को देते है उसमें कटौती करके अग्रवाल साहब को भी दिजिये, पर हम लोग के बीच में पड़ने से दिक्कत आ जायेगी क्योंकि अभी तो अग्रवाल साहब को प्रत्येक क्यू.आई. से 2,000रू. देते है, यदि राईस मिलर्स से कलेक्शन का पैसा भी अग्रवाल को अलग से मिलने लगेगा तो अग्रवाल के मन में लालच आ जायेगा। इस पर सिंग साहब ने कहा था कि ठीक है, अग्रवाल के मन में लालच आ जायेगा, पर पाठक तो तीन साल से राईस मिलर्स से कलेक्शन का पूरा पैसा खुद ही रख रहा है, अग्रवाल को नहीं दे रहा है, यह ठीक नहीं है सिंग साहब को कुछ पुराना कलेक्शन का पैसा वी.के. फुड राईस मिल वाले विनय (बिन्नु) से लेना था, इसी संबंध में उन्होंने मुझसे पूछा था कि विनय से कुछ बात हुआ था क्या? तब मैंने उन्हें बताया था कि 4–5 दिन पहले बिन्नु ट्रांसपोर्टिंग के बिल में साईन कराने आया था त उसको पैसे देने के लिये बोला था। सिंग साहब ने बताया था कि पाठक जी प्रतापपुर भी ग

थे, वहां भी सब ठीक रहा। मेरे द्वारा श्री सिंग साहब को बताया गया था कि सूरजपुर में रात में लगभग सभी गोदाम चेक किये थे, तीन–चार गोदाम बचा था तो बाद में देख लेंगे बोले है। मेरे द्वारा सिंग साहब से कहा गया था कि वर्तमान में मुख्यालय का कोई अधिकारी या एम.डी. अनिल टुटेजा भी उतने स्ट्रीक्ट नहीं है जितने पहले वाले एम.डी. कौशलेंद्र साहब थे। कौशलेंद्र सिंह साहब के समय में पाठक साहब को भी डर बना रहता था कि एम.डी. साहब साईट विजिट करके चावल की क्वालिटी क्रास चेक न कर ले। कंपनी सचिव संदीप अग्रवाल स्टाक का भौतिक सत्यापन कें लिये अप्रेल माह में आने की संभावना है और जरूरी नहीं है कि भौतिक सत्यापन का काम अग्रवाल जी को सूरजपुर जिले का मिले क्योंकि मुख्यालय से भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी चेंज कर देते है। मेरे द्वारा यह भी कहा गया था कि अग्रवाल साहब नहीं आये तो ठीक रहेगा, अपने जिले का राईस मिलर से जो कलेक्शन बनता है उसे कलेक्ट करके अगले महीने विकास सिन्हा (हमारे कार्यालय का कनिष्ठ तकनीकी सहायक) रायपुर जायेगा तो पाठक साहब और अग्रवाल साहब को भिजवा देंगे। मैंने सिंग साहब को यह भी कहा था कि पैसा तो देना ही है चाहे बी.आर.एल. (बियांड रिजेक्शन लिमिट) करे उसके बाद देना है। इस पर सिंग साहब ने कहा था कि हा भिजवा देना, सिंग साहब ने यह भी बताया था कि मैं तो अपना कलेक्शन का पैसा भिजवा देता हूं, सिंग साहब ने यह भी बताया था कि बीच में विकास सिन्हा कलेक्शन के पैसे देने गया था तो संदीप अग्रवाल कंपनी सचिव ने अपने पर्सनल काम किसी शादी में जाने के लिये 01 लाख रूपये की डिमांड किये थे, तब उन्होंने विकास के हाथों संदीप अग्रवाल को 01 लाख रूपया भिजवाया था। गिरीश शर्मा, चेयरमैन के श्री आलोक शुक्ला के आदमी का और जीतराम को कलेक्शन के पैसे देने विकास ही जाता है। इस पर मैंने सिंग साहब को कहा था कि अपना और विकास के कलेक्शन का पैसा विकास जायेगा तो उसके हाथों संदीप अग्रवाल साहब को भिजवा दूंगा, योगेश (हमारे कार्यालय का कनिष्ठ तकनीकी सहायक) तो अपना कलेक्शन संदीप अग्रवाल साहब को खुद ही भिजवा देता है, तो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। इस पर सिंग साहब ने कहा था ठीक है।

दिनांक 05.02.2015 के 20:15:12 बजे से प्रारंभ होकर दिनांक 05.02.2015 के 20:15:33 बजे का कॉल मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर से उनके पर्सनल नंबर 98261–71941 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा सिंग साहब को बताया गया था कि उन्होंने बलरामपुर के कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री मिंज को जो 10,000रू. दिये थे वो उसने वापस दे दिया है, मेरे पास ही रखा है, अभी लाना भूल गया हूं। मिंज किसी काम से अंबिकापुर आया था तो उसने मुझे 10,000रू. सिंग साहब को देने के लिये दिया था, इसी संबंध में उक्त वार्तालाप में सिंग साहब को बताया था। यही मेरा कथन है।

दिनांक 19.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ